

कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (ओएसडी) (छूट), अहमदावाद
Office of the Principal Commissioner of Income Tax (OSD)(Exemptions), Ahmedabad.
प्रथम तल, रूम नं.१११-११२, एनेकसी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदावाद - 380 009
1st Floor, Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad 380009
(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं.प्र.आ.आयु (छू.)/अहम/80जी(5)/308/ CEDRA/2014-15/22 पैन/PAN: AAATC4942K

ता.: 20.04.2015

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust.

CENTRE FOR EDUCATION DEVELOPMENTAL RESEARCH AND ACTION
MAHORAL,
TA: NADIAD,
DIST: ANAND,
ANAND.

धारा 80G के अन्तर्गत स्वीकृति / पुनर्नवीकरण के लिए आवेदन -Sub: Application for grant of Approval / renewal u/s. 80G (5) of I.T.Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता <u>22.12.2014</u> के फार्म नं 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योग्य हैं।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 22.12.2014 it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein

2. उपर्युक्त छूट ता <u>22.12.2014</u> से मान्य है । जबतक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता ।

This exemption is valid with effect from <u>22.12.2014</u> onwards (i.e. F.Y. 2014-15 & A.Y. 2015-16) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

- (i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह मान्य है, का उल्लेख करें।
 - Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.
- (ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।
 - The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961.
- (iii) आयकर अधिनियम 1961 ,की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बैलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तृत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the I T Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.

